न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 71/2019 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2019/00166**

1. नत्थूराम
2. शंकरलाल
3. कमला देवी

पिसरान् चिमनाराम जाति नायक साकिन चक 27 एफ.एफ हाल चक 1 एस.वी.एस.एस तहसील श्री विजयनगर जरिये मु.आम बंशीराम पुत्र चेतनाराम जाति नायक साकिन चक 33 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 13.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 20.08.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 1 एस.वी.एस.एम तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नंबर 189/412 का किला नम्बर 1,2,3,8,9,10,11 में कुल 2 बीघा 6 बिस्वा कमाण्ड व 3 बीघा 2 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 30.05.1997 अपीलांट के पिता के नाम आवंटन हुई थी। उक्त वादगत भूमि का नामान्तकरण संख्या 116 अपीलांट के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्रांक एफ12(3)राजस्व/12/8238 दिनांक 21.11.2012 द्वारा चक 29 जीबी की भूमि के प.न. 182/412 की 1.012 हैक्टयर भूमि को नगरपालिका श्रीविजयनगर को दिये जाने के आदेश प्रदान किए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के उक्त आदेश की पालन में अपने पत्रांक भू.अभि./2012/6349 दिनांक 21.11.2012 द्वारा पं.नं. 182/412 के स्थान पर पं.नं. 189/412 के इंतकाल आदेश पारित कर कब्जा नगरपालिका श्रीविजयनगर को दिये जाने के आदेश जारी किए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा नगरपालिका श्रीविजयनगर के नाम इंतकाल संख्या 347 दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर के इंतकाल संख्या 347 के विरूद्ध अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतिरिक्त कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि उक्त प्रकरण निस्तारण विस्तृत एवं गंभीर जांच तथा साक्ष्य सबूतों के आधार पर किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.08.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि चक 1 एस.वी.एस.एम तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नंबर 189/412 का किला नम्बर 1,2,3,8,9,10,11 में कुल 2 बीघा 6 बिस्वा कमाण्ड व 3 बीघा 2 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 30.05.1997 अपीलांट के पिता के नाम आवंटन हुई थी। आज दिनांक तक अपीलांट का कब्जा काश्त है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वादगत भूमि अपीलांट के पिता व बाद में अपीलांट के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त वादगत भूमि का नामान्तकरण संख्या 116 अपीलांट के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्रांक एफ12(3) राजस्व/12/8238 दिनांक 21.11.2012 द्वारा चक 29 जीबी की भूमि के प.न. 182/412 की 1.012 हैक्टयर भूमि को नगरपालिका श्रीविजयनगर को दिये जाने के आदेश प्रदान किए। उक्त आदेश की पालना कें नामांतरकरण दर्ज होना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के उक्त आदेश की पालन में अपने पत्रांक भू.अभि./2012/6349 दिनांक 21.11.2012 द्वारा पं.नं. 182/412 के स्थान पर मुरब्बा नंगर 189/412 के इंतकाल आदेश पारित कर कब्जा नगरपालिका श्रीविजयनगर को दिये जाने के आदेश जारी किए, जिससे अपीलांट एग्रीव्ड है। क्योंकि जिला कलक्टर ने मुरब्बा नंबर 182/412 का आदेश दिया था और तहसीलदार श्रीविजयनगर ने मुरब्बा नंबर 189/412 का इंतकाल दर्ज कर दिया। मुरब्बा नंबर 189/412 अपीलांट का है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा नगरपालिका श्रीविजयनगर के नाम इंतकाल संख्या 347 दर्ज कर दिया। अपीलांट के नाम नामांतरकरण व आवंटन होते हुए भी तहसीलदार ने जो आदेश जारी किया गया था वे अवैध हैं। चक 29 जी.बी गंगकेनाल एरिया का है। उक्त भूमि जो इस चक में थी वह चक 1 एस.वी.एस. एम में शामिल हो गई थी। एक तहसील में मुरब्बे के ब्लॉक नंबर एक ही तरह के दो नहीं हो सकते जब नगर पालिका को मुरब्बा नंबर 182/412 आवंटन किया था तो इंतकाल मुरब्बा नं. 189/412 का कैसे हो सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ का आदेश दिनांक 20.08.2019 एवं तहसीलदार श्री विजयनगर के इंतकाल संख्या 347 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित आर.आर.टी. का हवाला दिया हैं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र श्रीविजयनगर की भूमि है। नगरपालिका श्रीविजयनगर के पक्ष में इंतकाल संख्या 347 दिनांक 21.11.2012 दर्ज हो चुका है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जावें।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्रांक एफ12(3) राजस्व/12/8238 दिनांक 21.11.2012 द्वारा चक 29 जीबी की भूमि के प.न. 182/412 की 1.012 हैक्टयर भूमि को नगरपालिका श्रीविजयनगर को दिये जाने के आदेश प्रदान किए। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा जिला कलक्टर के उक्त आदेश दिनांक 21.11.2012 की पालना में इंतकाल संख्या 347 द्वारा चक 29 जीबी के मुरब्बा नंबर 189/412 की आराजीराम भूमि को नगरपालिका श्रीविजयनगर के नाम दर्ज कर दिया गया। इंतकाल संख्या 347 के अनुसार नगरपालिका श्रीविजयनगर के नाम दर्ज होने से पूर्व उक्त भूमि आराजीराज दर्ज थी। वादगत भूमि जब पहले खातेदार के नाम थी तो यह भूमि राजकीय भूमि कैसे दर्ज हुई, इस बाबत उपलब्ध रिकॉर्ड व अपील में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा अपने निर्णय में यह कहां कि उक्त प्रकरण में विवाद का निस्तारण नामांतकरण अपील के आधार पर न होकर विस्तृत एवं गंभीर जांच तथा साक्ष्य सबूतों के आधार पर किया जा सकता है एवं उक्त प्रकरण में वादगत भूमि के संबंध में अपीलांट्स सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है, जो उचित प्रतीत होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 28.08.2019 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर